

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 159/12

संस्थापन दिनांक:-27/03/12

फाईलिंग नं. 233504000832012

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

पप्पू उर्फ बंदर पिता रामराव कुंबी
 उम्र 29 वर्ष, निवासी गोविंद कॉलोनी आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 04.10.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 26.03.2016 को 04:10 बजे या उसके लगभग टंडन केम्प के सामने बोड़खी सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी अनुज्ञा पत्र के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई व चौड़ाई की धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखी।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 26.03.2016 को सहायक उप निरीक्षक एस.एल. साहू को कस्बा भ्रमण के दौरान जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त टंडन केम्प के सामने लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा, अभियुक्त के पास से एक लोहे की छुरी मिली जिसे रखने के संबंध में अभियुक्त द्वारा कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त के कब्जे से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त की तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 123/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.03.2016 को 04:10 बजे या उसके लगभग टंडन केम्प के सामने बोड़खी सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी अनुज्ञा पत्र के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई व चौड़ाई की धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखी ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 एस.एल. साहू (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 26.03.2012 को थाना आमला अंतर्गत पुलिस चौकी बोड़खी में चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वह हमराह साक्षी एवं स्टाफ को लेकर टंडन केम्प के सामने पहुंचा जहां उन्होंने अभियुक्त को घेराबंदी कर छुरी सहित पकड़ा तथा गवाहों के समक्ष अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक बनाया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्रमांक 123/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए-1 की छुरी को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त की थी।

6 साक्षी महादेव (अ.सा.-2) एवं कृष्णा (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षियों ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) में उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रकट किया कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। एकमात्र पुलिस अधिकारी जिसके स्वयं के कथनों पर विरोधाभास है उसके एकमात्र कथन के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का

मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

8 बचाव पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह सही है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी महादेव (अ.सा.-2) एवं कृष्णा (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र एस.एल. साहू (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर. 1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः तर्क के परिप्रेक्ष्य में विवेचक एस.एल. साहू की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 एस.एल. साहू (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में घटना दिनांक को हमराह स्टाफ के साथ कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर टंडन केम्प पहुंचना एवं घेराबंदी कर गवाह कृष्णा (अ.सा.-3) एवं महादेव (अ.सा.-2) के समक्ष अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त करना, उसे गिरफ्तार कर थाने में आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उसके द्वारा खानगंजी एवं वापसी का सान्हा प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। पैरा क. 07 में साक्षी ने जप्तशुदा आयुध की लंबाई चौड़ाई टेप से नापा जाना बताया है तथा पैरा क. 10 में साक्षी ने जप्तशुदा आयुध को मौके पर ही सीलबंद कर लिया जाना बताया है।

10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह दर्शित है कि जप्तशुदा आयुध मौके पर जप्त की जाकर थाना लाकर उसे सीलबंद किया गया तथा जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपराध क्रमांक लेख है, तब ऐसी स्थिति में जबकि जप्तशुदा आयुध को थाने में लाकर सीलबंद किया गया हो, निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह वही आयुध है जो कि मौके पर अभियुक्त से जप्त किया गया था तथा जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक में अपराध क्रमांक लेख होने से इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। इसके अतिरिक्त अभियोजन के द्वारा प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्ती की कार्यवाही किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा समर्थित नहीं है। तब ऐसी स्थिति में एकमात्र विवेचक साक्षी एस.एल. साहू (अ.सा.-1) के कथनों पर विश्वास कर अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 26.03.2016 को 04:10 बजे या उसके लगभग टंडन केम्प के सामने बोड़खी सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी अनुज्ञा पत्र के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक

लंबाई व चौड़ाई की धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखी। अतः अभियुक्त पप्पू उर्फ बंदर को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत तोड़कर नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)